न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 10/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 राजू बोराणा, मालिक मैसर्स दर्पण स्वीट माही दरवाजा, नागौर(राज) 2 दीपक अग्रवाल पुत्र प्रेमप्रकाश अग्रवाल 1/73, अग्रवाल भवन, व्यास कॉलोनी, नागौर। 3 बंसल सेल्स, कॉर्पोरेशन 2793,हरी जेठी का चौक, थर्ड क्रोसिंग बगरू वालों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।

आदेश

दिनांक :12.11.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 12-11-13 को फर्म मैसर्स दर्पण स्वीट माही दरवाजा, नागौर पर पर खाद्य पदार्थ सोन पपडी में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 373 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/844/एक्ट/2012/886 दिनांक 20.12.2012 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ सोन पपडी सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण राजू बोराणा, मालिक मैसर्स दर्पण स्वीट माही दरवाजा नागौर (राज), दीपक अग्रवाल पुत्र प्रेमप्रकाश अग्रवाल 1/73 अग्रवाल भवन, व्यास कॉलोनी नागौर, बसंल सेल्स, कॉर्पोरेशन 2793, हरी जेठी का चौक, थर्ड क्रोसिंग बगरू वालों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जायपुर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 06-02-2014 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से कांता बोथरा तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से श्री भरत ओझा, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 12.11.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब मे बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से सोन पपडी का सैम्पल लिया जो जांच में सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। मैंने यह सोन पपडी दीपक अग्रवाल निवासी नागौर के यहां से खरीदी थी, भविष्य में सोन पपडी खरीदते व बेचते समय ऐसी गलती नहीं करूंगा। अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स दर्पण स्वीट माही दरवाजा नागौर से सोन पपडी का सैम्पल लिया था जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। दर्पण स्वीट माही दरवाजा नागौर को मेरे द्वारा सोन पपडी बेची गयी थी जो कि मैंने बंसल सेल्स, कॉर्पोरेशन के यहां से खरीदी थी। भविष्य में सोन पपडी खरीदते व बेचते समय ऐसी गलती नहीं करूंगा तथा अप्रार्थी संख्या 03 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स दर्पण स्वीट माही दरवाजा नागौर से सोन पपडी का सैम्पल लिया था, जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पायी गई। मेरे द्वारा दीपक अग्रवाल निवासी नागौर को सोन पपडी बेची गयी थी। भविष्य में सोन पपडी बेचते समय ऐसी गलती नहीं करूंगा। अप्रार्थीगण ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच एलएस/844/एक्ट/2012/886 दिनांक 20.12.2012 के अनुसार खाद्य पदार्थ सोन पपडी का नमूना सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 राजू बोराणा, मालिक मैसर्स दर्पण स्वीट माही दरवाजा, नागौर(राज) पर रूपये 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपय, अप्रार्थी संख्या 02 दीपक अग्रवाल पुत्र प्रेमप्रकाश अग्रवाल 1/73 अग्रवाल भवन, व्यास कॉलोनी नागौर, बसंल सेल्स पर रूपये 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 03 बसंल सेल्स, कॉर्पोरेशन 2793, हेरी जेठी का चौक, थर्ड क्रोसिंग बगरू वालों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जायपुर पर रूपये 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये, कुल रूपये 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)